भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2313

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

मादक पदार्थों का सेवन

2313. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) देश में सरकार द्वारा खोले गए नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या राज्य-वार, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है; और
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त केन्द्रों को राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): वर्ष 2018 के दौरान एनडीडीटीसी, एम्स के माध्यम से मंत्रालय द्वारा भारत में मादक पदार्थों के सेवन की सीमा और पैटर्न पर आयोजित राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, वर्तमान में विभिन्न मनोसक्रिय पदार्थों (psychoactive substances) का सेवन करने वाले वयस्कों और बच्चों की व्यापकता (% में) और अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:

मादक पदार्थ	बच्चे और किशोर (10-17 वर्ष)		वयस्क (18-75 वर्ष)	
	व्यापकता (% में)	सेवन करने वालों की अनुमानित संख्या	व्यापकता (% में)	सेवन करने वालों की अनुमानित संख्या
भांग (कैनबिस)	0.90	20,00,000	3.30	2,90,00,000
नशीले पदार्थ	1.80	40,00,000	2.10	1,90,00,000
सिडेटिव	0.58	20,00,000	1.21	1,10,00,000
इनहेलेंट	1.17	30,00,000	0.58	60,00,000
कोकिन	0.06	2,00,000	0.11	10,00,000
एटीएस	0.18	4,00,000	0.18	20,00,000
हैलुसुलोजन	0.07	2,00,000	0.13	20,00,000

(ख): ड्रग्स की मांग कम करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) स्कीम के अंतर्गत ड्रग्स की मांग को कम करने के लिए की गई कार्रवाई **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग): एनएडीपीडीडीआर स्कीम के अंतर्गत स्थापित नशामुक्ति केन्द्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ): पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान उक्त केन्द्रों को आबंटित निधियों की राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2313 के भाग (ख) में उल्लिखित ब्यौरा

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में ड्रग्स की मांग में कमी के लिए नोडल मंत्रालय है। मादक पदार्थों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए इस विभाग ने ड्रग्स की मांग कम करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और इसे कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, ड्रग्स की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को।

ii. नशे का सेवन करने वालों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए), किशोरों में मादक पदार्थों के शीघ्र प्रयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशामुक्ति केन्द्रों (डीडीएसी) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन को; और

iii. नशे की लत की उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पतालों को।

एनएपीडीडीआर योजना के तहत ड्रग्स की मांग में कमी के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

i. नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। अब तक, एनएमबीए 4.42 करोड़ से अधिक युवा और 2.71 करोड़ से अधिक महिलाओं सहित 13.57 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच पहुंच गया है। इस अभियान में 3.85 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों ने ने भी भाग लिया है।

ii. नशे के आदी व्यक्तियों के लिए 347 एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) मंत्रालय द्वारा समर्थित हैं। ये आईआरसीए न केवल नशे के आदी व्यक्तियों का उपचार करते हैं बल्कि निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, प्रेरक परामर्श, डिटॉक्सिफिकेशन/नशामुक्ति की सेवाएं प्रदान करते हैं, तथा उसके पश्चात भी देखरेख करते हैं और सामाजिक मुख्यधारा में पुनः शामिल करवाते हैं।

iii. 46 समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप केंद्र (सीपीएलआई) मंत्रालय द्वारा समर्थित हैं। ये सीपीएलआई संवेदनशील और संभावित बच्चों और किशोरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

iv. 74 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओआईसी) मंत्रालय द्वारा समर्थित हैं। ये ओआईसी जांच, मूल्यांकन और परामर्श के प्रावधान के साथ मादक पदार्थ का सेवन करने वालों के लिए उपचार और पुनर्वास का सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं और उसके बाद मादक पदार्थ पर निर्भरता समाप्त करने के लिए उपचार और पुनर्वास सेवाओं के लिए रेफरल और लिंकेज प्रदान करते हैं।

v. 71 जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) एक छत के नीचे आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

vi. मंत्रालय सरकारी अस्पतालों में 117 नशे की लत की उपचार सुविधा केन्द्रों (एटीएफ) की स्थापना को भी सहायता प्रदान करता है।

vii. मंत्रालय द्वारा नशामुक्ति के लिए टोल फ्री हैल्पलाइन, 14446 मेनटेन की जा रही है ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें।

viii. मंत्रालय अपने स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और एससीईआरटी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन आदि जैसी

अन्य सहयोगी एजेंसियों के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों आदि सहित सभी स्टेकहोल्डरों के लिए नियमित रूप से जागरूकता सृजन और संवेदीकरण सत्र आयोजित करता है।

ix. मंत्रालय ने नवचेतना मॉड्यूल्स (स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और ड्रग्स की शिक्षा पर एक नई चेतना) - शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। "नशा मुक्त भारत अभियान" के तहत, भारत के स्कूलों में छात्रों के बीच जीवन कौशल और ड्रग्स पर जागरूकता और शिक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षकों द्वारा नवचेतना मॉड्यूल का प्रसार और कार्यान्वयन किया जाएगा।

x. एनएमबीए का समर्थन करने और जन जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारी, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2313 के भाग (ग) में उल्लिखित ब्यौरा

एनएडीपीडीडीआर योजना के अंतर्गत स्थापित नशामुक्ति केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईआरसीए	ओडीआईसी	सीपीएलआई	डीडीएसी	एटीएफ	एसएलसीए	कुल
1	आंध्र प्रदेश	10	4	4	6	1	1	26
2	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	4	0	4
4	असम	16	3	3	2	3	1	28
5	बिहार	7	0	0	5	2	1	15
6	चंडीगढ़	0	1	1	0	0	0	2
7	छतीसगढ़	2	3	1	0	0	1	7
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	0	0	1	0	0	2
9	दिल्ली	8	8	5	0	6	1	28
10	गोवा	0	0	0	0	2	0	2
11	गुजरात	7	3	3	1	5	1	20
12	हरियाणा	9	1	1	0	17	1	29
13	हिमाचल प्रदेश	3	0	1	1	2	1	8
14	जम्मू और कश्मीर	1	3	2	5	20	1	32
15	झारखंड	1	0	0	2	2	0	5
16	कर्नाटक	33	0	0	1	0	1	35
17	केरल	16	2	2	0	3	1	24
18	लद्दाख	0	0	0	2	0	0	2
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	14	7	3	9	6	1	40
21	महाराष्ट्र	44	0	0	5	4	1	54
22	मणिपुर	25	6	2	0	0	1	34
23	मेघालय	1	1	0	0	1	0	3
24	मिजोरम	10	2	0	0	1	1	14
25	नागालैंड	6	1	1	2	1	1	12
26	उड़ीसा	39	5	4	2	0	1	51

27	पुडुचेरी	2	1	0	0	0	0	3
28	पंजाब	7	2	1	0	0	0	10
29	राजस्थान	17	7	4	7	6	0	41
30	सिक्किम	2	0	0	0	1	0	3
31	तमिलनाडु	24	0	0	7	2	1	34
32	तेलंगाना	10	1	0	1	1	1	14
33	त्रिपुरा	0	2	0	0	5	0	7
34	उत्तर प्रदेश	20	9	5	10	19	0	63
35	उत्तराखंड	4	1	1	0	1	1	8
36	पश्चिम बंगाल	8	1	2	2	2	1	16
	कुल	**347**	**74**	**46**	**71**	**117**	**21**	**676**

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2313 के भाग (घ) में उल्लिखित ब्यौरा

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त केन्द्रों को आबंटित निधियों की राशि का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (25.11.2024 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3.12	3.99	6.33	1.10
3	अरुणाचल	0.0	0.05	0.00	0.00
4	असम	5.24	4.37	7.46	2.58
5	बिहार	2.05	1.84	2.25	2.01
6	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0.27	0.00	0.1	0.02
7	छतीसगढ़	0.86	1.29	0.68	0.42
8	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) और दमन एवं दीव	0.2	0.24	0.32	0.00
9	दिल्ली	4.37	3.47	3.95	1.53
10	गोवा	0.0	0.00	0	0.00
11	गुजरात	2.35	2.53	3.11	0.70
12	हरियाणा	1.98	2.03	1.61	0.6
13	हिमाचल प्रदेश	1.29	0.91	1.25	0.31
14	जम्मू और कश्मीर	0.46	2.37	2.15	0.84
15	झारखंड	0.19	0.24	0.38	0.79
16	कर्नाटक	7.67	9.00	10.36	1.80
17	केरल	3.62	3.54	5.22	1.40
18	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मध्य प्रदेश	2.84	3.50	5.46	1.87
20	महाराष्ट्र	8.77	9.88	12.81	2.43
21	मणिपुर	7.2	8.00	10.60	2.40

22	मेघालय	0.0	0.25	0.14	0.00
23	मिजोरम	1.95	2.25	3.03	0.49
24	नागालैंड	1.97	1.19	0.91	0.31
25	ओडिशा	10.07	9.31	14.55	4.48
26	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	0.22	0.43	0.58	0.19
27	पंजाब	1.08	1.01	1.33	1.12
28	राजस्थान	3.74	4.87	9.91	1.04
29	सिक्किम	0.46	0.19	0.28	0.00
30	तमिलनाडु	4.95	5.19	9.03	2.44
31	तेलंगाना	2.32	2.49	3.63	0.51
32	त्रिपुरा	0.08	0.14	0.00	0.00
33	उत्तर प्रदेश	6.09	4.97	9.82	1.11
34	उत्तराखंड	1.28	1.63	1.37	0.66
35	पश्चिम बंगाल	2.43	2.43	4.06	1.35
36	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0
	कुल	**89.12**	**93.60**	**132.68**	**34.50**

****